कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़), उ.प्र, प्रयागराज

पत्रांक: ए.ई/03/नि.वि.-1/ग्रुप-1/172/2024/खंड-3/1368 दिनांक: 08-01-2026

कार्यालय आदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा के कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्मिकों का FR 56(जे) एवं CCS (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 42 के अंतर्गत आवर्ती समीक्षा हेतु एक केन्द्रीय रजिस्टर तैयार किया जाना प्रस्तावित है | इस हेतु उक्त कार्यालय द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की मांग की गयी है:

1. सम्पूर्ण सेवाकाल में अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण किया गया "dies-non" यदि कोई हो |
2. सम्पूर्ण सेवाकाल में निर्गत अभिलेखित चेतावनी |
3. सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिरोपित लघु दंड/दीर्घ दंड |

चूँकि प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों की सेवा पुस्तिका का रख रखाव उनके खंड द्वारा किया जाता है इसलिए प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय द्वारा वांछित उक्त सूचनाएं सेवापुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों/अभिलेखों के आधार पर सम्बंधित खंडीय अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय के अधिकारिक ईमेल dagworkcell.up2.ae@cag.gov.in पर दिनांक 12-01-2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें | इस सम्बन्ध में किसी भी शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा | यदि प्रभागीय लेखाकार संवर्ग का कोई कार्मिक अनुपस्थित चल रहा हो तो लिंक प्रभार वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए |

वरिष्ठ उप महालेखाकार/निर्माण

पत्रांक: ए.ई/03/नि.वि.-1/ग्रुप-1/172/2024/खंड-3/576-578 दिनांक: 08-01-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सम्बंधित खंडीय अधिकारी/अधिशाषी अभियंता को इस कार्यालय कि वेबसाइट के माध्यम से इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचनाओं को सेवापुस्तिका के आधार पर प्रमाणित करते हुए निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें |
2. समस्त प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से |
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ITCG, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़), उ.प्र., प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय कि वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें |

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि.-1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़), उ.प्र, प्रयागराज

पत्रांक: ए.ई/03/नि.वि.-1/ग्रुप-1/172/2024/खंड-3/1368 दिनांक: 08-01-2026

कार्यालय आदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा के कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्मिकों का FR 56(जे) एवं CCS (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 42 के अंतर्गत आवर्ती समीक्षा हेतु एक केन्द्रीय रजिस्टर तैयार किया जाना प्रस्तावित है | इस हेतु उक्त कार्यालय द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की मांग की गयी है:

1. सम्पूर्ण सेवाकाल में अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण किया गया "dies-non" यदि कोई हो |
2. सम्पूर्ण सेवाकाल में निर्गत अभिलेखित चेतावनी |
3. सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिरोपित लघु दंड/दीर्घ दंड |

चूँकि प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों की सेवा पुस्तिका का रख रखाव उनके खंड द्वारा किया जाता है इसलिए प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय द्वारा वांछित उक्त सूचनाएं सेवापुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों/अभिलेखों के आधार पर सम्बंधित खंडीय अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय के अधिकारिक ईमेल dagworkcell.up2.ae@cag.gov.in पर दिनांक 12-01-2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें | इस सम्बन्ध में किसी भी शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा | यदि प्रभागीय लेखाकार संवर्ग का कोई कार्मिक अनुपस्थित चल रहा हो तो लिंक प्रभार वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त सूचनाएं प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए |

वरिष्ठ उप महालेखाकार/निर्माण

पत्रांक: ए.ई/03/नि.वि.-1/ग्रुप-1/172/2024/खंड-3/576-578 दिनांक: 08-01-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सम्बंधित खंडीय अधिकारी/अधिशाषी अभियंता को इस कार्यालय कि वेबसाइट के माध्यम से इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचनाओं को सेवापुस्तिका के आधार पर प्रमाणित करते हुए निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें |
2. समस्त प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से |
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ITCG, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़), उ.प्र., प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय कि वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें |

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि.-1